

पत्र संख्या- जनसूचना (IGRS)/2016-17/

-353-

/ वाणिज्य कर,

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(जनसूचना / IGRS अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: 27 जनवरी-2017

एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर,
कानपुर जोन प्रथम/द्वितीय कानपुर ।

आप अवगत है कि जन समस्याओं / शिकायतों के प्रबन्धन निवारण एवं निगरानी तथा नागरिकों, शासन विभागों एवं शासकीय कार्यालय के बीच सहज एवं पारदर्शी संवाद हेतु समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली (IGRS) जनसुनवाई का आनलाइन पोर्टल विकसित किया गया है। जिसके माध्यम से विभिन्न प्रकार की शिकायतों का निस्तारण निर्धारित अवधि में किया जाना अपेक्षित है। जिसकी समीक्षा मा० मुख्यमंत्री कार्यालय के लोक शिकायत अनुभाग द्वारा की जाती है।

जनशिकायतों के समयबद्ध निस्तारण के सम्बन्ध में शासन स्तर पर दिनांक 20-01-2017 की समीक्षा बैठक में यह पाया गया है कि आपके जोन में डिफाल्टर (निर्धारित अवधि के पश्चात) सन्दर्भ निम्नानुसार लम्बित है।

क्रम संख्या	मुख्यमंत्री संदर्भ	आनलाइन संदर्भ
1	12164160090662	40016416004393
2	15164160110651	
3	15164160122621	
4	15197160140665	
5	18164160103316	
कुल संदर्भ	06	

उक्त के अवलोकन से स्पष्ट है कि आप द्वारा IGRS से सम्बन्धित लम्बित मामलों के निस्तारण में अपेक्षित रुचि नहीं ली जा रही है। जिसके लिये सचिव मा० मुख्यमंत्री / प्रमुख सचिव वाणिज्य कर/कमिश्नर महोदय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की गयी है।

अतः आपसे अपेक्षा है कि दिनांक 31-01-2017 तक प्रत्येक दशा में समस्त प्रकरणों का निस्तारण कर आख्या निर्धारित पोर्टल पर अपलोड करने का कष्ट करें।



(अनूप कुमार)

एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन)वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पू० प० सं० व दिनांक उक्त :-

प्रतिलिपि- 1- सचिव, मा० मुख्यमंत्री कार्यालय के अवलोकनार्थ प्रेषित।

2-डिप्टी कमिश्नर एवं वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी-प्रथम, वाणिज्य कर मुख्यालय लखनऊ को कमिश्नर महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित।

एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन)वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्र संख्या- जनसूचना (IGRS)/2016-17/

-355-

/ वाणिज्य कर,

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(जनसूचना / IGRS अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: 27 जनवरी-2017

एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर,
इटावा जोन इटावा।

आप अवगत है कि जन समस्याओं / शिकायतों के प्रबन्धन निवारण एवं निगरानी तथा नागरिकों, शासन विभागों एवं शासकीय कार्यालय के बीच सहज एवं पारदर्शी संवाद हेतु समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली (IGRS) जनसुनवाई का आनलाइन पोर्टल विकसित किया गया है। जिसके माध्यम से विभिन्न प्रकार की शिकायतों का निस्तारण निर्धारित अवधि में किया जाना अपेक्षित है। जिसकी समीक्षा मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय के लोक शिकायत अनुभाग द्वारा की जाती है।

जनशिकायतों के समयबद्ध निस्तारण के सम्बन्ध में शासन स्तर पर दिनांक 20-01-2017 की समीक्षा बैठक में यह पाया गया है कि आपके जोन में डिफाल्टर (निर्धारित अवधि के पश्चात) सन्दर्भ निम्नानुसार लम्बित है।

क्रम संख्या	मुख्यमंत्री संदर्भ	आनलाइन संदर्भ
1	15162160109793	40016116001370
2	15147160053497	
3	10162150013050	
कुल संदर्भ	04	

उक्त के अवलोकन से स्पष्ट है कि आप द्वारा IGRS से सम्बन्धित लम्बित मामलों के निस्तारण में अपेक्षित रुचि नहीं ली जा रही है। जिसके लिये सचिव मा0 मुख्यमंत्री / प्रमुख सचिव वाणिज्य कर/ कमिश्नर महोदय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की गयी है।

अतः आपसे अपेक्षा है कि दिनांक 31-01-2017 तक प्रत्येक दशा में समस्त प्रकरणों का निस्तारण कर आख्या निर्धारित पोर्टल पर अपलोड करने का कष्ट करें।

(अनूप कुमार)

एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृ0 प0 सं0 व दिनांक उक्त :-

प्रतिलिपि- 1- सचिव, मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय के अवलोकनार्थ प्रेषित।

2- डिप्टी कमिश्नर एवं वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी-प्रथम, वाणिज्य कर मुख्यालय लखनऊ को कमिश्नर महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित।

एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्र संख्या- जनसूचना (IGRS)/2016-17/

-354-

/ वाणिज्य कर,

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(जनसूचना / IGRS अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: 27 जनवरी-2017

एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर,
वाराणसी जोन प्रथम / द्वितीय वाराणसी।


आप अवगत है कि जन समस्याओं / शिकायतों के प्रबन्धन निवारण एवं निगरानी तथा नागरिकों, शासन विभागों एवं शासकीय कार्यालय के बीच सहज एवं पारदर्शी संवाद हेतु समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली (IGRS) जनसुनवाई का आनलाइन पोर्टल विकसित किया गया है। जिसके माध्यम से विभिन्न प्रकार की शिकायतों का निस्तारण निर्धारित अवधि में किया जाना अपेक्षित है। जिसकी समीक्षा मा० मुख्यमंत्री कार्यालय के लोक शिकायत अनुभाग द्वारा की जाती है।

जनशिकायतों के समयबद्ध निस्तारण के सम्बन्ध में शासन स्तर पर दिनांक 20-01-2017 की समीक्षा बैठक में यह पाया गया है कि आपके जोन में डिफाल्टर (निर्धारित अवधि के पश्चात) सन्दर्भ निम्नानुसार लम्बित है।

क्रम संख्या	मुख्यमंत्री संदर्भ	आनलाइन संदर्भ
1	12197160098603	40019716001135
2	12192160106808	40019416001265
3		40020216000640
4		40019216001067
5		40019916001418
6		40019716003798
7		40019516001676
8		40019716003940
9		40019716003973
कुल संदर्भ	11	

उक्त के अवलोकन से स्पष्ट है कि आप द्वारा IGRS से सम्बन्धित लम्बित मामलों के निस्तारण में अपेक्षित रुचि नहीं ली जा रही है। जिसके लिये सचिव मा० मुख्यमंत्री / प्रमुख सचिव वाणिज्य कर / कमिश्नर महोदय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की गयी है।

अतः आपसे अपेक्षा है कि दिनांक 31-01-2017 तक प्रत्येक दशा में समस्त प्रकरणों का निस्तारण कर आख्या निर्धारित पोर्टल पर अपलोड करने का कष्ट करें।


(अनूप कुमार)

एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृ० प० सं० व दिनांक उक्त :-

प्रतिलिपि- 1- सचिव, मा० मुख्यमंत्री कार्यालय के अवलोकनार्थ प्रेषित।

2- डिप्टी कमिश्नर एवं वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी-प्रथम, वाणिज्य कर मुख्यालय लखनऊ को कमिश्नर महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित।

एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्र संख्या- जनसूचना (IGRS)/2016-17/

-356-

/ वाणिज्य कर,

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(जनसूचना / IGRS अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: 27 जनवरी-2017

एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर,
अलीगढ़ जोन अलीगढ़।

आप अवगत है कि जन समस्याओं / शिकायतों के प्रबन्धन निवारण एवं निगरानी तथा नागरिकों, शासन विभागों एवं शासकीय कार्यालय के बीच सहज एवं पारदर्शी संवाद हेतु समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली (IGRS) जनसुनवाई का आनलाइन पोर्टल विकसित किया गया है। जिसके माध्यम से विभिन्न प्रकार की शिकायतों का निस्तारण निर्धारित अवधि में किया जाना अपेक्षित है। जिसकी समीक्षा मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय के लोक शिकायत अनुभाग द्वारा की जाती है।

जनशिकायतों के समयबद्ध निस्तारण के सम्बन्ध में शासन स्तर पर दिनांक 20-01-2017 की समीक्षा बैठक में यह पाया गया है कि आपके जोन में डिफाल्टर (निर्धारित अवधि के पश्चात) सन्दर्भ निम्नानुसार लम्बित है।

क्रम संख्या	मुख्यमंत्री संदर्भ
1	15143160089303
2	15143160071070
3	15143160089199
4	15143160155243
कुल संदर्भ	04

उक्त के अवलोकन से स्पष्ट है कि आप द्वारा IGRS से सम्बन्धित लम्बित मामलों के निस्तारण में अपेक्षित रुचि नहीं ली जा रही है। जिसके लिये सचिव मा0 मुख्यमंत्री / प्रमुख सचिव वाणिज्य कर / कमिश्नर महोदय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की गयी है।

अतः आपसे अपेक्षा है कि दिनांक 31-01-2017 तक प्रत्येक दशा में समस्त प्रकरणों का निस्तारण कर आख्या निर्धारित पोर्टल पर अपलोड करने का कष्ट करें।



(अनूप कुमार)

एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पू0 प0 सं0 वृ दिनांक उक्त :-

प्रतिलिपि- 1- सचिव, मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय के अवलोकनार्थ प्रेषित।

2- डिप्टी कमिश्नर एवं वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी-प्रथम, वाणिज्य कर मुख्यालय लखनऊ को कमिश्नर महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित।

एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर,
मेरठ जोन मेरठ।


आप अवगत है कि जन समस्याओं / शिकायतों के प्रबन्धन निवारण एवं निगरानी तथा नागरिकों, शासन विभागों एवं शासकीय कार्यालय के बीच सहज एवं पारदर्शी संवाद हेतु समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली (IGRS) जनसुनवाई का आनलाइन पोर्टल विकसित किया गया है। जिसके माध्यम से विभिन्न प्रकार की शिकायतों का निस्तारण निर्धारित अवधि में किया जाना अपेक्षित है। जिसकी समीक्षा मा० मुख्यमंत्री कार्यालय के लोक शिकायत अनुभाग द्वारा की जाती है।

जनशिकायतों के समयबद्ध निस्तारण के सम्बन्ध में शासन स्तर पर दिनांक 20-01-2017 की समीक्षा बैठक में यह पाया गया है कि आपके जोन में डिफाल्टर (निर्धारित अवधि के पश्चात) सन्दर्भ निम्नानुसार लम्बित है।

क्रम संख्या	मुख्यमंत्री संदर्भ
1	12138160068186
2	15138160095117
3	15139160147934
4	15139160147934
कुल संदर्भ	04

उक्त के अवलोकन से स्पष्ट है कि आप द्वारा IGRS से सम्बन्धित लम्बित मामलों के निस्तारण में अपेक्षित रुचि नहीं ली जा रही है। जिसके लिये सचिव मा० मुख्यमंत्री / प्रमुख सचिव वाणिज्य कर / कमिश्नर महोदय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की गयी है।

अतः आपसे अपेक्षा है कि दिनांक 31-01-2017 तक प्रत्येक दशा में समस्त प्रकरणों का निस्तारण कर आख्या निर्धारित पोर्टल पर अपलोड करने का कष्ट करें।



(अनूप कुमार)

एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृ० प० सं० व दिनांक उक्त :-

प्रतिलिपि- 1- सचिव, मा० मुख्यमंत्री कार्यालय के अवलोकनार्थ प्रेषित।

2- डिप्टी कमिश्नर एवं वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी-प्रथम, वाणिज्य कर मुख्यालय लखनऊ को कमिश्नर महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित।


एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्र संख्या- जनसूचना (IGRS)/2016-17/

- 3581 -

/ वाणिज्य कर,

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(जनसूचना / IGRS अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: २) जनवरी-2017

एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर,
सहारनपुर जोन सहारनपुर।

आप अवगत है कि जन समस्याओं / शिकायतों के प्रबन्धन निवारण एवं निगरानी तथा नागरिकों, शासन विभागों एवं शासकीय कार्यालय के बीच सहज एवं पारदर्शी संवाद हेतु समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली (IGRS) जनसुनवाई का आनलाइन पोर्टल विकसित किया गया है। जिसके माध्यम से विभिन्न प्रकार की शिकायतों का निस्तारण निर्धारित अवधि में किया जाना अपेक्षित है। जिसकी समीक्षा मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय के लोक शिकायत अनुभाग द्वारा की जाती है।

जनशिकायतों के समयबद्ध निस्तारण के सम्बन्ध में शासन स्तर पर दिनांक 20-01-2017 की समीक्षा बैठक में यह पाया गया है कि आपके जोन में डिफाल्टर (निर्धारित अवधि के पश्चात) सन्दर्भ निम्नानुसार लम्बित है।

क्रम संख्या	मुख्यमंत्री संदर्भ	आनलाइन संदर्भ
1	12190160130741	40013316001431
2	15132160131514	
3	15132160157923	
कुल संदर्भ	04	

उक्त के अवलोकन से स्पष्ट है कि आप द्वारा IGRS से सम्बन्धित लम्बित मामलों के निस्तारण में अपेक्षित रुचि नहीं ली जा रही है। जिसके लिये सचिव मा0 मुख्यमंत्री / प्रमुख सचिव वाणिज्य कर / कमिश्नर महोदय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की गयी है।

अतः आपसे अपेक्षा है कि दिनांक 31-01-2017 तक प्रत्येक दशा में समस्त प्रकरणों का निस्तारण कर आख्या निर्धारित पोर्टल पर अपलोड करने का कष्ट करें।



(अनूप कुमार)

एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पू0 प0 सं0 व दिनांक उक्त :-

प्रतिलिपि- 1- सचिव, मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय के अवलोकनार्थ प्रेषित।

2- डिप्टी कमिश्नर एवं वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी-प्रथम, वाणिज्य कर मुख्यालय लखनऊ को कमिश्नर महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित।

/
एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्र संख्या- जनसूचना (IGRS)/2016-17/

-359-

/ वाणिज्य कर,

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(जनसूचना / IGRS अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: 27 जनवरी-2017

एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर,
गोरखपुर जोन गोरखपुर।


आप अवगत है कि जन समस्याओं / शिकायतों के प्रबन्धन निवारण एवं निगरानी तथा नागरिकों, शासन विभागों एवं शासकीय कार्यालय के बीच सहज एवं पारदर्शी संवाद हेतु समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली (IGRS) जनसुनवाई का आनलाइन पोर्टल विकसित किया गया है। जिसके माध्यम से विभिन्न प्रकार की शिकायतों का निस्तारण निर्धारित अवधि में किया जाना अपेक्षित है। जिसकी समीक्षा मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय के लोक शिकायत अनुभाग द्वारा की जाती है।

जनशिकायतों के समयबद्ध निस्तारण के सम्बन्ध में शासन स्तर पर दिनांक 20-01-2017 की समीक्षा बैठक में यह पाया गया है कि आपके जोन में डिफाल्टर (निर्धारित अवधि के पश्चात) सन्दर्भ निम्नानुसार लम्बित है।

क्रम संख्या	मुख्यमंत्री संदर्भ
1	12189160029119
2	12189160051070
3	15188160153104
कुल संदर्भ	03

उक्त के अवलोकन से स्पष्ट है कि आप द्वारा IGRS से सम्बन्धित लम्बित मामलों के निस्तारण में अपेक्षित रुचि नहीं ली जा रही है। जिसके लिये सचिव मा0 मुख्यमंत्री / प्रमुख सचिव वाणिज्य कर / कमिश्नर महोदय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की गयी है।

अतः आपसे अपेक्षा है कि दिनांक 31-01-2017 तक प्रत्येक दशा में समस्त प्रकरणों का निस्तारण कर आख्या निर्धारित पोर्टल पर अपलोड करने का कष्ट करें।


(अनूप कुमार)

एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृ0 प0 सं0 व दिनांक उक्त :-

प्रतिलिपि- 1- सचिव, मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय के अवलोकनार्थ प्रेषित।

2- डिप्टी कमिश्नर एवं वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी-प्रथम, वाणिज्य कर मुख्यालय लखनऊ को कमिश्नर महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित।

एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्र संख्या- जनसूचना (IGRS)/2016-17/

-360-

/ वाणिज्य कर,

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(जनसूचना / IGRS अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: 27 जनवरी-2017

एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर,
इलाहाबाद जोन इलाहाबाद।


आप अवगत है कि जन समस्याओं / शिकायतों के प्रबन्धन निवारण एवं निगरानी तथा नागरिकों, शासन विभागों एवं शासकीय कार्यालय के बीच सहज एवं पारदर्शी संवाद हेतु समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली (IGRS) जनसुनवाई का आनलाइन पोर्टल विकसित किया गया है। जिसके माध्यम से विभिन्न प्रकार की शिकायतों का निस्तारण निर्धारित अवधि में किया जाना अपेक्षित है। जिसकी समीक्षा मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय के लोक शिकायत अनुभाग द्वारा की जाती है।

जनशिकायतों के समयबद्ध निस्तारण के सम्बन्ध में शासन स्तर पर दिनांक 20-01-2017 की समीक्षा बैठक में यह पाया गया है कि आपके जोन में डिफाल्टर (निर्धारित अवधि के पश्चात) सन्दर्भ निम्नानुसार लम्बित है।

क्रम संख्या	मुख्यमंत्री संदर्भ	आनलाइन संदर्भ
1	12175160044926	40017516003933
2	12174160057967	
3	18175160091932	
कुल संदर्भ	04	

उक्त के अवलोकन से स्पष्ट है कि आप द्वारा IGRS से सम्बन्धित लम्बित मामलों के निस्तारण में अपेक्षित रुचि नहीं ली जा रही है। जिसके लिये सचिव मा0 मुख्यमंत्री / प्रमुख सचिव वाणिज्य कर / कमिश्नर महोदय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की गयी है।

अतः आपसे अपेक्षा है कि दिनांक 31-01-2017 तक प्रत्येक दशा में समस्त प्रकरणों का निस्तारण कर आख्या निर्धारित पोर्टल पर अपलोड करने का कष्ट करें।


(अनूप कुमार)

एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृ0 प0 सं0 व दिनांक उक्त :-

प्रतिलिपि- 1- सचिव, मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय के अवलोकनार्थ प्रेषित।

2- डिप्टी कमिश्नर एवं वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी-प्रथम, वाणिज्य कर मुख्यालय लखनऊ को कमिश्नर महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित।

एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्र संख्या- जनसूचना (IGRS)/2016-17/

-361-

/ वाणिज्य कर,

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(जनसूचना / IGRS अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: 27 जनवरी-2017

एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर,
झाँसी जोन झाँसी।


आप अवगत है कि जन समस्याओं / शिकायतों के प्रबन्धन निवारण एवं निगरानी तथा नागरिकों, शासन विभागों एवं शासकीय कार्यालय के बीच सहज एवं पारदर्शी संवाद हेतु समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली (IGRS) जनसुनवाई का आनलाइन पोर्टल विकसित किया गया है। जिसके माध्यम से विभिन्न प्रकार की शिकायतों का निस्तारण निर्धारित अवधि में किया जाना अपेक्षित है। जिसकी समीक्षा मा० मुख्यमंत्री कार्यालय के लोक शिकायत अनुभाग द्वारा की जाती है।

जनशिकायतों के समयबद्ध निस्तारण के सम्बन्ध में शासन स्तर पर दिनांक 20-01-2017 की समीक्षा बैठक में यह पाया गया है कि आपके जोन में डिफाल्टर (निर्धारित अवधि के पश्चात) सन्दर्भ निम्नानुसार लम्बित है।

क्रम संख्या	मुख्यमंत्री संदर्भ
1	15166160134345
कुल संदर्भ	01

उक्त के अवलोकन से स्पष्ट है कि आप द्वारा IGRS से सम्बन्धित लम्बित मामलों के निस्तारण में अपेक्षित रुचि नहीं ली जा रही है। जिसके लिये सचिव मा० मुख्यमंत्री / प्रमुख सचिव वाणिज्य कर / कमिश्नर महोदय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की गयी है।

अतः आपसे अपेक्षा है कि दिनांक 31-01-2017 तक प्रत्येक दशा में समस्त प्रकरणों का निस्तारण कर आख्या निर्धारित पोर्टल पर अपलोड करने का कष्ट करें।



(अनूप कुमार)

एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृ० प० सं० व दिनांक उक्त :-

प्रतिलिपि- 1- सचिव, मा० मुख्यमंत्री कार्यालय के अवलोकनार्थ प्रेषित।

2- डिप्टी कमिश्नर एवं वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी-प्रथम, वाणिज्य कर मुख्यालय लखनऊ को कमिश्नर महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित।


एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्र संख्या- जनसूचना (IGRS)/2016-17/

-362-

/ वाणिज्य कर,

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(जनसूचना / IGRS अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: २७ जनवरी-2017

एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर,
फैजाबाद जोन फैजाबाद।

आप अवगत है कि जन समस्याओं / शिकायतों के प्रबन्धन निवारण एवं निगरानी तथा नागरिकों, शासन विभागों एवं शासकीय कार्यालय के बीच सहज एवं पारदर्शी संवाद हेतु समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली (IGRS) जनसुनवाई का आनलाइन पोर्टल विकसित किया गया है। जिसके माध्यम से विभिन्न प्रकार की शिकायतों का निस्तारण निर्धारित अवधि में किया जाना अपेक्षित है। जिसकी समीक्षा मा० मुख्यमंत्री कार्यालय के लोक शिकायत अनुभाग द्वारा की जाती है।

जनशिकायतों के समयबद्ध निस्तारण के सम्बन्ध में शासन स्तर पर दिनांक 20-01-2017 की समीक्षा बैठक में यह पाया गया है कि आपके जोन में डिफाल्टर (निर्धारित अवधि के पश्चात) सन्दर्भ निम्नानुसार लम्बित है।

क्रम संख्या	मुख्यमंत्री संदर्भ	आनलाइन संदर्भ
1	15157160117905	40017616003746
कुल संदर्भ	02	

उक्त के अवलोकन से स्पष्ट है कि आप द्वारा IGRS से सम्बन्धित लम्बित मामलों के निस्तारण में अपेक्षित रुचि नहीं ली जा रही है। जिसके लिये सचिव मा० मुख्यमंत्री / प्रमुख सचिव वाणिज्य कर / कमिश्नर महोदय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की गयी है।

अतः आपसे अपेक्षा है कि दिनांक 31-01-2017 तक प्रत्येक दशा में समस्त प्रकरणों का निस्तारण कर आख्या निर्धारित पोर्टल पर अपलोड करने का कष्ट करें।


(अनूप कुमार)

एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृ० प० सं० व दिनांक उक्त :-

प्रतिलिपि- 1- सचिव, मा० मुख्यमंत्री कार्यालय के अवलोकनार्थ प्रेषित।

2- डिप्टी कमिश्नर एवं वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी-प्रथम, वाणिज्य कर मुख्यालय लखनऊ को कमिश्नर महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित।

/
एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्र संख्या- जनसूचना (IGRS)/2016-17/

-363-

/ वाणिज्य कर,

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(जनसूचना / IGRS अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: २७ जनवरी-2017

एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर,
आगरा जोन- आगरा ।

आप अवगत है कि जन समस्याओं / शिकायतों के प्रबन्धन निवारण एवं निगरानी तथा नागरिकों, शासन विभागों एवं शासकीय कार्यालय के बीच सहज एवं पारदर्शी संवाद हेतु समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली (IGRS) जनसुनवाई का आनलाइन पोर्टल विकसित किया गया है। जिसके माध्यम से विभिन्न प्रकार की शिकायतों का निस्तारण निर्धारित अवधि में किया जाना अपेक्षित है। जिसकी समीक्षा मा० मुख्यमंत्री कार्यालय के लोक शिकायत अनुभाग द्वारा की जाती है।

जनशिकायतों के समयबद्ध निस्तारण के सम्बन्ध में शासन स्तर पर दिनांक 20-01-2017 की समीक्षा बैठक में यह पाया गया है कि आपके जोन में डिफाल्टर (निर्धारित अवधि के पश्चात) सन्दर्भ निम्नानुसार लम्बित है।

क्रम संख्या	मुख्यमंत्री संदर्भ	आनलाइन संदर्भ
1	15146160132861	40014616003830
2	15146160146225	40014616004302
कुल संदर्भ	04	

उक्त के अवलोकन से स्पष्ट है कि आप द्वारा IGRS से सम्बन्धित लम्बित मामलों के निस्तारण में अपेक्षित रुचि नहीं ली जा रही है। जिसके लिये सचिव मा० मुख्यमंत्री / प्रमुख सचिव वाणिज्य कर / कमिश्नर महोदय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की गयी है।

अतः आपसे अपेक्षा है कि दिनांक 31-01-2017 तक प्रत्येक दशा में समस्त प्रकरणों का निस्तारण कर आख्या निर्धारित पोर्टल पर अपलोड करने का कष्ट करें।


(अनूप कुमार)

एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृ० प० सं० व दिनांक उक्त :-

प्रतिलिपि- 1- सचिव, मा० मुख्यमंत्री कार्यालय के अवलोकनार्थ प्रेषित।

2- डिप्टी कमिश्नर एवं वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी-प्रथम, वाणिज्य कर मुख्यालय लखनऊ को कमिश्नर महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित।

एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्र संख्या- जनसूचना (IGRS)/2016-17/

-364-

/ वाणिज्य कर,

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(जनसूचना / IGRS अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: 27 जनवरी-2017

एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर,
लखनऊ जोन प्रथम / द्वितीय लखनऊ ।


आप अवगत है कि जन समस्याओं / शिकायतों के प्रबन्धन निवारण एवं निगरानी तथा नागरिकों, शासन विभागों एवं शासकीय कार्यालय के बीच सहज एवं पारदर्शी संवाद हेतु समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली (IGRS) जनसुनवाई का आनलाइन पोर्टल विकसित किया गया है। जिसके माध्यम से विभिन्न प्रकार की शिकायतों का निस्तारण निर्धारित अवधि में किया जाना अपेक्षित है। जिसकी समीक्षा मा० मुख्यमंत्री कार्यालय के लोक शिकायत अनुभाग द्वारा की जाती है।

जनशिकायतों के समयबद्ध निस्तारण के सम्बन्ध में शासन स्तर पर दिनांक 20-01-2017 की समीक्षा बैठक में यह पाया गया है कि आपके जोन में डिफाल्टर (निर्धारित अवधि के पश्चात) सन्दर्भ निम्नानुसार लम्बित है।

क्रम संख्या	मुख्यमंत्री संदर्भ	आनलाइन संदर्भ
1	12132160080125	40015416009631
2	12132160083151	40015416011547
3	12000160105543	40015516009162
4	12132160079861	
5	11157160104747	
6	15157160128823	
7	15157160096822	
कुल संदर्भ	10	

उक्त के अवलोकन से स्पष्ट है कि आप द्वारा IGRS से सम्बन्धित लम्बित मामलों के निस्तारण में अपेक्षित रुचि नहीं ली जा रही है। जिसके लिये सचिव मा० मुख्यमंत्री / प्रमुख सचिव वाणिज्य कर/कमिश्नर महोदय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की गयी है।

अतः आपसे अपेक्षा है कि दिनांक 30-01-2017 तक प्रत्येक दशा में समस्त प्रकरणों का निस्तारण कर आख्या निर्धारित पोर्टल पर अपलोड करने का कष्ट करें।


(अनूप कुमार)

एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृ० प० सं० व दिनांक उक्त :-

प्रतिलिपि- 1- सचिव, मा० मुख्यमंत्री कार्यालय के अवलोकनार्थ प्रेषित।

2- डिप्टी कमिश्नर एवं वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी-प्रथम, वाणिज्य कर मुख्यालय लखनऊ को कमिश्नर महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित।

एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्र संख्या- जनसूचना (IGRS)/2016-17/

-365-

/ वाणिज्य कर,

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(जनसूचना / IGRS अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: 27 जनवरी-2017

एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर,
बरेली जोन-बरेली।


आप अवगत है कि जन समस्याओं / शिकायतों के प्रबन्धन निवारण एवं निगरानी तथा नागरिकों, शासन विभागों एवं शासकीय कार्यालय के बीच सहज एवं पारदर्शी संवाद हेतु समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली (IGRS) जनसुनवाई का आनलाइन पोर्टल विकसित किया गया है। जिसके माध्यम से विभिन्न प्रकार की शिकायतों का निस्तारण निर्धारित अवधि में किया जाना अपेक्षित है। जिसकी समीक्षा मा० मुख्यमंत्री कार्यालय के लोक शिकायत अनुभाग द्वारा की जाती है।

जनशिकायतों के समयबद्ध निस्तारण के सम्बन्ध में शासन स्तर पर दिनांक 20-01-2017 की समीक्षा बैठक में यह पाया गया है कि आपके जोन में डिफाल्टर (निर्धारित अवधि के पश्चात) सन्दर्भ निम्नानुसार लम्बित है।

क्रम संख्या	मुख्यमंत्री संदर्भ	आनलाइन संदर्भ
1	11152160158409	40015016000868
2	12152160158004	40015016002301
3	15000160071000	40015016002542
4	15150160083833	40015116000814
5	15150160150174	40015216000958
6	15151160099018	40015216001138
7	15152160099032	
कुल संदर्भ	13	

उक्त के अवलोकन से स्पष्ट है कि आप द्वारा IGRS से सम्बन्धित लम्बित मामलों के निस्तारण में अपेक्षित रुचि नहीं ली जा रही है। जिसके लिये सचिव मा० मुख्यमंत्री / प्रमुख सचिव वाणिज्य कर / कमिश्नर महोदय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की गयी है।

अतः आपसे अपेक्षा है कि दिनांक 31-01-2017 तक प्रत्येक दशा में समस्त प्रकरणों का निस्तारण कर आख्या निर्धारित पोर्टल पर अपलोड करने का कष्ट करें।


(अनूप कुमार)

एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृ० प० सं० व दिनांक उक्त :-

प्रतिलिपि- 1- सचिव, मा० मुख्यमंत्री कार्यालय के अवलोकनार्थ प्रेषित।

2- डिप्टी कमिश्नर एवं वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी-प्रथम, वाणिज्य कर मुख्यालय लखनऊ को कमिश्नर महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित।

एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्र संख्या- जनसूचना (IGRS)/2016-17/

-366-

/ वाणिज्य कर,

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

(जनसूचना / IGRS अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: 27 जनवरी-2017

एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर,
गाजियाबाद जोन-द्वितीय गाजियाबाद ।

आप अवगत है कि जन समस्याओं / शिकायतों के प्रबन्धन निवारण एवं निगरानी तथा नागरिकों, शासन विभागों एवं शासकीय कार्यालय के बीच सहज एवं पारदर्शी संवाद हेतु समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली (IGRS) जनसुनवाई का आनलाइन पोर्टल विकसित किया गया है। जिसके माध्यम से विभिन्न प्रकार की शिकायतों का निस्तारण निर्धारित अवधि में किया जाना अपेक्षित है। जिसकी समीक्षा मा० मुख्यमंत्री कार्यालय के लोक शिकायत अनुभाग द्वारा की जाती है।

जनशिकायतों के समयबद्ध निस्तारण के सम्बन्ध में शासन स्तर पर दिनांक 20-01-2017 की समीक्षा बैठक में यह पाया गया है कि आपके जोन में डिफाल्टर (निर्धारित अवधि के पश्चात) सन्दर्भ निम्नानुसार लम्बित है।

क्रम संख्या	मुख्यमंत्री संदर्भ	आनलाइन संदर्भ	पी०जी०पोर्टल संदर्भ
1	12000160127841	40014016001418	60000160013877
2	15140160060476	40014016001600	60000160043562
3	10000160013777	40014016002282	
4	10140160006386	40014016002357	
5	11140160049773	40014016002359	
6	12000160028836	40020416000552	
7	12142160130160		
8	12140160124541		
9	15140160030174		
10	15140160030153		
11	15140160079430		
12	15140160034264		
कुल संदर्भ	20		

उक्त के अवलोकन से स्पष्ट है कि आप द्वारा IGRS से सम्बन्धित लम्बित मामलों के निस्तारण में अपेक्षित रुचि नहीं ली जा रही है। जिसके लिये सचिव मा० मुख्यमंत्री / प्रमुख सचिव वाणिज्य कर / कमिश्नर महोदय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की गयी है।

अतः आपसे अपेक्षा है कि दिनांक 31-01-2017 तक प्रत्येक दशा में समस्त प्रकरणों का निस्तारण कर आख्या निर्धारित पोर्टल पर अपलोड करने का कष्ट करें।

(अनूप कुमार)

एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृ० प० सं० व दिनांक उक्त :-

प्रतिलिपि- 1- सचिव, मा० मुख्यमंत्री कार्यालय के अवलोकनार्थ प्रेषित।

2- डिप्टी कमिश्नर एवं वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी-प्रथम, वाणिज्य कर मुख्यालय लखनऊ को कमिश्नर महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित।

एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।